पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान।

बैंक एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार में पुलिस बल द्वारा अनावश्यक रूप से खड़े लोगों की कि गयी चेकिंग-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तन द्वारा विशेष अभियान चलाकर बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार में अनावश्यक रूप से खड़े लोगों की चेकिंग करने के निर्देश जनपद के समस्त थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 04.12.2023 को समस्त थानाओं में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार में पुलिस बल द्वारा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

जिसके क्रम में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ शहर/कस्बा/भीड़ भाड़ वालों स्थानों में पैदल गश्त किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया और स्वयं व्यापारियों एवं आम जनमानस से सीधा संवाद करते हुए उनसे कानून व्यवस्था के मामले पर बातचीत कर सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। दुकानदारों/व्यापारियों से वार्ता कर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया तथा उन्हें सुरक्षा के दृष्टिगत अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने व संदिग्ध व्यक्तियों के दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा जा रहा है। मुख्य बाजारों, बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के सुरक्षार्थ सीसीटीवी कैमरों की दिशा एवं दशा चेक करते हुए उनको सुदृढ़ करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया तथा अनावश्यक रूप से खड़े लोगों की चेकिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक-चौबंद बनाने के लिए प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर अन्य जगहों पर कैमरे लगाए जाने हेतु अपील की गयी, जिससे अपराध होने पर जरूरी मदद मिल सके।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.12.2023

मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त- देवीदयाल 02. अजय कुमार, 03. रोहित कुमार उर्फ रामसुचित को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण ने दिनांक 02.12.2023 को वादिनी व वादिनी के पति मार पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके सम्बंध में वादिनी द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. देवीदयाल पुत्र शान्ति प्रसाद निवास ग्राम भोगवा महेश भारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. अजय कुमार पुत्र देवीदयाल निवास ग्राम भोगवा महेश भारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. रोहित कुमार उर्फ राम सुचित पुत्र गोविन्द सरन निवासी ग्राम मुर्तिहवा चौराहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 369/2023, धारा 323, 308, 504, 506 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 जयप्रकाश राय मय टीम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.12.2023

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त रंजीत वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कोतवाली मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाबालिग लड़की को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रंजीत वर्मा पुत्र बेचई निवासी ग्राम मझेरिया थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 645/2023 धारा 354, 504, 506, भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 अखिलेश राही मय टीम थाना कोतवाली मनकापुर, गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 04.12.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन मे साइबर सेल द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशि मिलने पर पींडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, गोण्डा पुलिस को ह्रदय से दिया धन्यवाद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में साइबर सेल द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है ।

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सिसई थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ने साइबर सेल को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि साइबर फ्राँड गिरोह के सदस्यो द्वारा फर्जी काल करके उपहार का प्रलोभन देकर रूपये ट्रांसफर कर लिया गया है।

उक्त सूचना पर साइबर सेल टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि रु0 6,000/- को होल्ड कराते हुए पीड़ित के रूपये 6,000 /- खाते में पैसा वापस कराया गया। फ्राड गये रकम वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा गोण्डा पुलिस को सहृदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।

साइबर सेल टीम
01. प्रभारी साइबर सेल शादाब आलम
02. क0 हरिओम टण्डन
03. का0 मनीष कुशवाहा
04. का0 राजेन्द्र कुमार